

प्रेषक,

अनिल कुमार,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,  
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग,  
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार,  
पंचम तल, पंडित दीनदयाल अन्वयोदय भवन,  
सी0जी0ओ0 कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड,  
नई दिल्ली-110003

दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक: 09 अगस्त, 2018

विषय:- स्वैच्छिक संस्था जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र (डी0डी0आर0सी0) हरदोई को सिपडा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु केन्द्रीय अनुदान के लिये प्रस्ताव के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या- सी-2584 / दि0ज0स0वि0/डी0डी0आर0सी0/ 2018-19, दिनांक 31 जुलाई, 2018 मूलरूप में संलग्नक सहित प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया भारत सरकार के निर्धारित मानक के अनुसार सिपडा योजनान्तर्गत अनुदानित जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र (डी0डी0आर0सी0) हरदोई द्वारा नोडल एजेन्सी- जिला प्रबन्धन समिति (डी0एम0टी0), हरदोई को वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु मांगी गई धनराशि रू0 48,65,000/- (रू0 अड़तालित लाख पैंसठ हजार मात्र) के सापेक्ष रू0 रू0 48,65,000/- (रू0 अड़तालित लाख पैंसठ हजार मात्र) का केन्द्रीय अनुदान स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक: -यथोक्त।

भवदीय,

(अनिल कुमार)  
संयुक्त सचिव।

संख्या- 16/2018/ 17 एन0जी0ओ0 (1)/65-1-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1- निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- जिलाधिकारी, हरदोई ।
- 3- जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, हरदोई ।
- 4- उप निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, लखनऊ मण्डल लखनऊ।
- 5- जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र, हरदोई ।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)  
संयुक्त सचिव।

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।